अध्याय-1

1.1 परिचय

1.1.1 बजट की रूपरेखा

राज्य में 43 विभाग एवं 74 स्वायत्त निकाय हैं। 2008-13 के दौरान राज्य सरकार के बजट अनुमान तथा उसके विरूद्ध वास्तविक व्यय **तालिका 1.1.1** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.1.1: 2008-13 के दौरान राज्य सरकार के बजट एवं व्यय

(*₹ करोड़ में*)

विवरण	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13	
	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक
राजस्व व्यय										
सामान्य सेवाएँ	4760.67	4923.99	7052.77	6605.36	5877.15	6990.80	7866.66	7845.56	8556.05	8696.49
सामाजिक सेवाएँ	5564.46	5385.18	7314.86	5610.30	6730.03	6707.30	9524.39	7287.03	11611.28	8308.59
आर्थिक सेवाएँ	3256.07	2532.48	3844.87	2912.38	3943.26	4246.47	6646.17	5858.99	7632.67	6394.79
सहायता अनुदान	0.66	35.25	0.45	0.20	0.45	0.17	0.55	0.00	0.55	0.00
कुल (1)	13581.86	12876.90	18212.95	15128.24	16550.89	17944.74	24037.77	20991.58	27800.55	23399.87
पूँजीगत व्यय										
पूँजीगत परिव्यय	3966.47	3051.27	3530.66	2703.04	3826.02	2664.30	6352.73	3159.37	6856.83	4218.43
संवितरित ऋण एवं अग्रिम	531.09	418.19	439.26	319.98	415.01	307.56	1328.02	217.10	829.37	600.81
लोक ऋण का प्रतिदान	771.64	863.40	809.50	1190.21	1505.67	1299.43	1403.18	1639.01	1627.05	2183.06
अंतरराज्यिक भुगतान		145.87						75.40		100.00
आकस्मिक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लोक लेखा संवितरण*	4227.89	7185.19	7332.05	7290.30	9065.67	7399.85	11762.85	9727.77	18519.83	13416.31
अंतिम रोकड़ शेष		637.52		757.13		(-)0.41		116.85		704.75
कुल (2)	9497.09	12301.44	12111.47	12260.66	14812.37	11670.73	20846.78	14935.50	27833.08	21223.36
सकल योग (1+2)	23078.95	25178.34	30324.42	27388.90	31363.26	29615.47	44884.55	35927.08	55633.63	44623.23

(*स्रोत: वार्षिक वित्तीय विवरण एव राज्य बजट के स्पष्टीकरण ज्ञापन*)

* *रोकड़ शेष निवेश एवं विभागीय शेष को छोड़कर*

1.1.2 राज्य सरकार के संसाधनों के अनुप्रयोग

₹ 38,494 करोड़[1] के कुल बजट के विरूद्ध 2012-13 में राज्य के समेकित निधि में ₹ 30,402 करोड़ का कुल व्यय[2] हुआ। राज्य का कुल व्यय 2008-09 से 2012-13 के दौरान 77 *प्रतिशत* की वृद्धि के साथ ₹ 17,209 करोड़ से ₹ 30,402 करोड़ तक बढ़ गया, राज्य सरकार का राजस्व व्यय 2008-09 में ₹ 12,877 करोड़ से 2012-13 में 82 *प्रतिशत* की वृद्धि के साथ ₹ 23,400 करोड़ तक बढ़ा। 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान गैर-योजनागत राजस्व व्यय 73 *प्रतिशत* की वृद्धि के साथ ₹ 9,064 करोड़ से ₹ 15,657 करोड़ तक बढ़ा एवं पूँजीगत व्यय 38 *प्रतिशत* की बढ़ोतरी के साथ ₹ 3,051 करोड़ से ₹ 4,218 करोड़ तक पहुँच गया।

वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान कुल व्यय का 75 से 81 *प्रतिशत* हिस्सा राजस्व व्यय का था एवं पूँजीगत व्यय 12 से 18 *प्रतिशत* इस अवधि के दौरान कुल व्यय का चक्रीय वार्षिक वृद्धि दर (सी.ए.जी.आर.) 15.29 *प्रतिशत* था, जबकि 2008-09 से 2012-13 के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ 17 *प्रतिशत* चक्रीय वार्षिक वृद्धि दर (सी.ए.जी.आर.) पर बढ़ी।

1.1.3 सतत् बचतें

16 मामलों (15 विभागों) में, पिछले 5 वर्षों में प्रत्येक मामले में ₹ 1 करोड़ से अधिक की सतत् बचतें हुई, जैसा कि **तालिका 1.1.2** में वर्णित है:

तालिका 1.1.2: 2008-13 के दौरान सतत् बचतों वाले अनुदान की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान के नाम एवं संख्या	बचत की राशि				
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राजस्व दत्तमत						
1	1- कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	499.65(70)	178.10(44)	181.21(39)	228.82(35)	264.25(37)
2	2-पशुपालन विभाग	58.61(29)	54.21(27)	46.11(22)	31.52(23)	35.50(22)
3	17- वित्त (वाणिज्यिक कर) विभाग	6.11 (20)	3.79 (11)	8.27 (17)	11.24 (18)	27.17 (38)
4	18-खाद्य, जन वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	34.17 (18)	98.68 (28)	84.27 (13)	168.00 (15)	307.90 (28)
5	19- वन एवं पर्यावरण विभाग	40.34 (16)	61.60 (23)	68.35 (23)	52.20 (19)	48.17 (15)
6	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	184.31(23)	480.56(45)	178.41(21)	277.93(25)	326.13(53)
7	23- उद्योग विभाग	83.42(42)	73.27(32)	31.89(18)	157.41(45)	82.94(29)
8	26- श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग	187.81 (25)	162.39 (23)	148.44 (19)	193.07 (23)	232.43 (25)
9	35- योजना एवं विकास विभाग	129.49 (87)	72.02 (82)	14.00 (46)	291.78 (58)	594.38 (88)
10	40-राजस्व एवं भू-सुधार विभाग	32.11 (13)	47.00 (17)	27. 94 (11)	79.15 (24)	77.17 (23)
11	43- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	76.74(50)	66.06(59)	51.83(41)	40.29(42)	37.03(40)
12	49- जल संसाधन विभाग	17.52(09)	57.85(22)	30.98(13)	83.77(27)	92.55(29)
13	51- कल्याण विभाग	219.46(23)	304.76(28)	208.83(16)	309.14(33)	250.26(31)

[1] मूल अनुदान ₹ 37,114 करोड़ एवं अनुपूरक अनुदान ₹ 1,380 करोड़ सम्मिलित है।

[2] कुल व्यय में, लोक लेखा संवितरण एवं अंतर्राज्यिक भुगतान सम्मिलित नहीं है।

पूँजीगत दत्तमत						
14	10- उर्जा विभाग	68.92 (17)	383.67 (61)	132.56 (32)	1130.05 (87)	252.30 (32)
15	41- सड़क निर्माण विभाग	88.05(14)	230.19(31)	146.70(18)	899.94(53)	174.55(10)
16	49- जल संसाधन विभाग	254.29(48)	277.49(56)	153.71(40)	714.70(78)	1232.85(74)

(*स्रोत: विनियोग लेखे*)

1.1.4 राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे स्थानांतरित निधि

2012-13 के दौरान भारत सरकार ने विभिन्न राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को राज्य बजट के माध्यम के बिना सीधे, ₹ 2,621.91 करोड़ स्थानान्तरित किया। राज्य में ऐसा कोई भी अभिकरण नहीं जो भारत सरकार (भा.स.) द्वारा राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे स्थानान्तरित निधियों की निगरानी करे तथा निधि का किसी वर्ष विशेष में सर्वप्रमुख योजनाओं एवं अन्य प्रमुख योजनाओं पर कितना व्यय किया गया, जिनका कार्यान्वयन राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों एवं वित्त-पोषण सीधे केन्द्र सरकार (भा.स.) द्वारा किया जा रहा है, इसके तैयार आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य वित्त पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के कंडिका 1.2.2 (पृष्ठ 10-11) में इनके विवरणी दिये गये हैं।

1.1.5 भारत सरकार द्वारा निर्गत सहायता अनुदान

वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान **तालिका 1.1.3** में दर्शाए गए हैं:

तालिका 1.1.3: भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(*₹ करोड़ में*)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
गैर योजना अनुदान	591.91	1145.33	1281.40	1550.77	1483.41
राज्य योजना स्कीम के लिए अनुदान	1054.18	982.97	1826.99	2404.61	2393.94
केन्द्रीय योजना स्कीम के लिए अनुदान	31.22	55.05	8.62	66.87	30.81
केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीम के लिए अनुदान	438.57	633.28	990.24	1235.16	914.05
कुल	2115.88	2816.63	4107.25	5257.41	4822.21
पूर्व वर्ष से *प्रतिशत* में वृद्धि	15	33	46	28	(-)8
राजस्व प्राप्ति की प्रतिशतता	16.01	18.63	21.87	23.45	19.47

1.1.6 लेखापरीक्षा का योजना निर्माण एवं संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों, योजनाओं/परियोजनाओं आदि का उनके क्रियात्मक जटिलता, प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों का स्तर, आंतरिक नियंत्रण तथा हिस्सेदारों के प्रति रवैया के आधार पर जोखिम आकलन एवं पिछले लेखापरीक्षा परिणामों के साथ शुरू होती हैं। इस जोखिम आकलन के आधार पर, लेखापरीक्षा की बारम्बारता तथा सीमा तय की जाती है तथा एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाती है।

लेखापरीक्षा की समाप्ति के बाद, लेखापरीक्षा परिणामों को निरीक्षण प्रतिवेदन में संकलित कर कार्यालय अध्यक्ष को इस अनुरोध के साथ सौंपा जाता है कि इसके जवाब एक महीने के अन्दर सौंपे जाएँगे। जवाब प्राप्ति उपरांत, लेखापरीक्षा परिणामों को या तो निपटा दिए जाते हैं या अनुपालन हेतु आगे की कार्यवाही के लिए परामर्श दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में दर्शाये गए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकनों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समावेश के लिए कार्रवाई की जाती है जिसे भारतीय संविधान की धारा 151 के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य के गवर्नर को प्रस्तुत की जाती है।

वर्ष 2012-13 में, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) झारखण्ड के कार्यालय द्वारा राज्य के 263 निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी और 37 स्वायत्त निकाय का अनुपालन लेखापरीक्षा किया गया। साथ ही, सात निष्पादन लेखापरीक्षा भी किया गया।

1.1.7 निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रति सरकार की उदासीनता

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड लेन-देनों के नमूना-जाँच द्वारा सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करते हैं एवं महत्वपूर्ण लेखा-संबंधी एवं अन्य दस्तावेज/अभिलेख के निर्धारित नियमों तथा प्रक्रियाओं के अनुसार, रखरखाव का सत्यापन करते हैं। इन निरीक्षणों के बाद लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) जारी किए जाते है। जब लेखापरीक्षा निरीक्षण के दौरान महत्वपूर्ण अनियमितताओं का पता लगने पर यदि कार्य स्थल पर सुलझाया नहीं जाता है तो ये नि.प्र. लेखापरीक्षित कार्यालय के प्रमुख को जारी किया जाता है एवं प्रतिलिपि उच्चाधिकारियों को भेजी जाती है।

कार्यालयाध्यक्षों एवं उच्चाधिकारियों को अपने अनुपालन प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को इन नि.प्र. कि प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर देना होता है। गम्भीर अनियमितताएँ प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) झारखण्ड के कार्यालय द्वारा प्रधान सचिव (वित्त) को भेजे जाने वाले लंबित नि.प्र. की एक अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से संबंधित विभागाध्यक्षों के जानकारी में भी लायी जाती है।

नमूना लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर, 31 मार्च 2013[3] तक लंबित 2,707 निरीक्षण प्रतिवेदनों में संकलित कुल 17,284 प्रेक्षण **तालिका 1.1.4** में दिये गए हैं:

तालिका 1.1.4: लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन/कंडिका

(*₹ करोड़ में*)

क्र.स.	क्षेत्र का नाम	निरीक्षण प्रतिवेदन	कंडिकाएँ	संबद्ध राशि
1.	सामाजिक क्षेत्र	1888	12741	67722.79
2.	सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र (गैर सा.क्षे.उ.)	819	4543	5587.84
कुल		2707	17284	73310.63

[3] 30 सितम्बर 2012 तक निर्गत नि.प्र. एवं कंडिकाएं जो 31 मार्च 2013 तक लंबित, सम्मिलित है।

2012-13 के दौरान, लेखापरीक्षा समिति की 24 बैठकें हुई जिनमें 25 नि.प्र. एवं 742 कंडिकाओं का निपटारा किया गया।

सितम्बर 2012 तक 34 विभागों से संबंधित 1,583 निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों (डी.डी.ओ.) को जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की विस्तृत समीक्षा से पता चलता है कि 31 मार्च 2013 को 2,707 नि.प्र. संबंधित ₹ 73,310.63 करोड़ के वित्तीय मूल्यांकन के 17,284 कंडिकाएँ लंबित थे। इन 2,707 नि.प्र. एवं 17,284 कंडिकाओं के लंबित मामलों की वर्ष-बार स्थिति ***परिशिष्ट-1.1.1*** एवं अनियमितताओं के प्रकार ***परिशिष्ट-1.1.2*** में वर्णित है।

विभागीय अधिकारियों द्वारा नि.प्र. का संकलित अवलोकनों पर तय समय में कार्रवाई करने में असफल रहे फलस्वरूप उत्तरदायित्व का ह्रास हुआ।

यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार मामलों में रूचि ले ताकि लेखापरीक्षा अवलोकनों पर आवश्यक एवं त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित किया जा सके।

1.1.8 लेखापरीक्षा के दौरान वसूली

केन्द्रीय लेखापरीक्षा संचालन के दौरान राज्य सरकार के विभागों के लेखे के निरीक्षण के दौरान ज्ञात हुए वैसे लेखापरीक्षा निष्कर्ष जिनमें वसूली होनी है, विभिन्न विभागीय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों (डी.डी.ओ.) को पुष्टि के लिए एवं लेखापरीक्षा को जानकारी देने के साथ अग्रेतर कार्रवाई करने के लिए प्रेषित की गयी।

नौ मामलों में चिन्हित किये गए एवं डी.डी.ओ. द्वारा स्वीकार किये गए ₹ 21.04 लाख के वसूली के विरूद्ध संबंधित डी.डी.ओ. ने एक मामले में 2012-13 के दौरान ₹ 0.23 लाख का वसूली किया, **तालिका 1.1.5** के में दिखाये गए अनुसार:

तालिका 1.1.5: लेखापरीक्षा द्वारा इंगित वसूलियाँ एवं विभागों द्वारा स्वीकृत/वसूली

(₹ लाख में)

विभाग	द्रष्टव्य वसूली के ब्यौरे	वर्ष 2012-13 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित एवं विभागों द्वारा स्वीकृत वसूलियाँ		वर्ष 2012-13 के दौरान प्रभावी वसूलियाँ	
		मामलों की संख्या	संबद्ध राशि	मामलों की संख्या	संबद्ध राशि
सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र					
लघु सिंचाई	खाली सिमेंट के बोरे की कीमत की वसूली	02	4.91	शून्य	शून्य
	स्वामित्व की कम वसूली	03	10.49	शून्य	शून्य
	मजदूर अधिकर की कम वसूली	01	0.45	शून्य	शून्य
वन	सरकारी राजस्व की गैर वसूली	01	3.95	शून्य	शून्य
	स्वामित्व की कम वसूली	01	1.01		
कुल		08	20.81	शून्य	शून्य
समाज कल्याण विभाग	भूल से काटे गए राशियों का समायोजन	01	0.23	01	0.23

1.1.9 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुकरण

लोक लेखा समिति के आंतरिक कार्यों के लिए प्रक्रिया के नियमों के अनुसार प्रशासनिक विभागों द्वारा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल सभी कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर स्वविवेक से कार्रवाई (व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ) प्रारंभ किया जाना था चाहे इसे लोक लेखा समिति द्वारा संपरीक्षा के लिए लिया गया हो अथवा नहीं। राज्य विधान सभा के समक्ष लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण के तीन माह के भीतर उन पर किए गए सुधारात्मक कार्रवाई या लिए जाने वाले प्रस्तावित कार्रवाई को इंगित करते हुए लेखापरीक्षा द्वारा उचित जाँच कर विस्तृत टिप्पणी भी प्रस्तुत की जानी थी।

31 मार्च 2012 तक की अवधि में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल कंडिकाओं के संबंध में 31 अगस्त 2013 तक प्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति **तालिका 1.1.6** में दिया गया है:

तालिका 1.1.6: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल कंडिकाओं पर व्याख्यात्मक कंडिकाओं की प्राप्ति की स्थिति

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के वर्ष	राज्य विधान मंडल में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	कंडिकाओं की कुल संख्या	विभागों से प्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियों की संख्या	विभागों से नहीं प्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियों की संख्या
सिविल/ सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक (गैर पी.एस.यू. क्षेत्र)	2008-2009 तक		227	137	90
	2009-2010	29.08.2011	23	05	18
	2010-2011	06.09.2012	21	01	20
	2011-2012	27.07.2013	39	00	39
कुल			310	143	167
राज्य वित्त	2008-2009 तक		12	00	12
	2009-2010	29.08.2011	12	00	12
	2010-2011	06.09.2012	16	05	11
	2011-2012	27.07.2013	13	00	13
कुल			53	05	48

1.1.9.1 लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर कार्रवाई नहीं किया जाना

झारखण्ड विधान सभा, कार्य एवं प्रक्रिया के नियम 315(2) के अन्तर्गत स्थाई आदेश संख्या 41(1) के अनुसार लोक लेखा समिति द्वारा किए गए अनुशंसाओं को विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत करने के छः माह के भीतर विभागों द्वारा लोक लेखा समिति के समस्त की गई कार्रवाई की नोट (ए.टी.एन.) प्रस्तुत करना था।

यह देखा गया कि लोक लेखा समिति, झारखण्ड ने वर्ष 1999-2000 से 2007-2008 के लिए सात कंडिकाएँ एवं छः उप कंडिकाओं पर अनुशंसाएँ की थी। लेकिन दिसम्बर 2013 तक विभागों से उपरोक्त कंडिकाओं एवं उप कंडिकाओं पर कोई ए.टी.एन. प्राप्त नहीं हुआ।

1.1.10 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकनों (प्रारूप कंडिकाएँ/समीक्षाएँ) पर सरकार की प्रतिक्रिया

विगत कुछ वर्षों में, चयनित विभागों के विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन सहित आंतरिक नियंत्रण के गुणवत्ता में कमी पर लेखापरीक्षा ने अपना प्रतिवेदन दिया है जो कार्यक्रमों की सफलता एवं विभागों के कार्यों पर प्रतिकुल प्रभाव डालती है। विशेष कार्यक्रमों/योजनाओं का लेखापरीक्षा तथा सुधारात्मक कार्रवाई एवं नागरिकों को सेवा प्रदेयता को सुधारने के लिए कार्यपालिका को उपयुक्त अनुशंसाएँ प्रदान करने पर ध्यान दिया गया।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम 2007 के प्रावधानों के अनुसार, विभागों को प्रस्तावित प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/ प्रारूप कंडिकाओं पर अपना प्रत्युत्तर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में शामिल होने के लिए छः सप्ताह के भीतर भेजना है। यह उनके व्यक्तिगत ध्यान में लाया गया कि झारखण्ड विधान मंडल में प्रस्तुत करने के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में इस प्रकार के कंडिकाओं को शामिल करने की संभाव्यता की दृष्टिकोण से इन मामलों में उनकी टिप्पणी शामिल करना वांछनीय होगा। उन्हें प्रधान महालेखाकार के साथ निष्पादन लेखापरीक्षा पर प्रारूप प्रतिवेदन एवं प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर विचार विमर्श के लिए बैठक करने की सलाह भी दी गई। प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए प्रस्तावित इन प्रारूप प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं को संबद्ध अपर मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों/सचिवों को उनके जवाब के लिए अग्रसारित भी किया गया। वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए संबद्ध प्रशासनिक सचिवों को सात निष्पादन लेखापरीक्षा पर प्रारूप प्रतिवेदन एवं 12 प्रारूप कंडिकाएँ अग्रसारित किया गया। निष्पादन लेखापरीक्षा के संबंध में सात मामले एवं प्रारूप कंडिकाओं के लिए केवल तीन मामलों पर सरकार के जवाब प्राप्त हुए हैं।

1.1.11 राज्य विधान सभा में स्वायत्त निकायों के लिए अलग लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण की स्थिति

राज्य सरकार द्वारा कई स्वायत्त निकायों का गठन किया गया है। इन निकायों में से अधिकतर निकायों के लेन देनों, परिचालन संबंधी गतिविधि एवं लेखे, नियामक अनुपालन लेखापरीक्षा, आंतरिक प्रबंधन की समीक्षा, वित्तीय नियंत्रण एवं पद्धति तथा प्रक्रियाओं की समीक्षा इत्यादि के सत्यापन के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा किया जाता है।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) के कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्ते (डी.पी.सी.) की धारा 19(3) के अनुसार राज्य में तीन स्वायत्त निकायों[4] के लेखाओं की लेखापरीक्षा का काम भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपा गया है। लेखापरीक्षा सौंपने की स्थिति, लेखापरीक्षा हेतु लेखाओं का समर्पण पृथक लेखापरीक्षा

[4] (i) रिम्स, (ii) झालसा एवं (iii) झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जे.एस.ई.आर.सी.)।

प्रतिवेदन निर्गत करने एवं इनका विधान मंडल में प्रस्तुतिकरण को नीचे दर्शाया गया है:

(i) राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) अधिनियम वर्ष 2002 में अधिनियमित किया गया एवं सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम 1971 की धारा 19(3) के अंतर्गत रिम्स के लेखाओं की लेखापरीक्षा कार्य प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को सौंपा गया जिसे प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा अक्टूबर 2009 में स्वीकार किया गया। यद्यपि, सक्रिय अनुनय के बावजूद जनवरी 2014 तक लेखापरीक्षा हेतु वार्षिक लेखे नहीं जमा किए गए।

(ii) झारखण्ड विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा) के लिए वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 की अवधि के लिए नवम्बर 2013 में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एस.ए.आर.) निर्गत किया गया है। राज्य विधान मंडल में उनके प्रस्तुतिकरण को सूचित नहीं किया गया। वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के सुपुर्दगी प्राप्त नहीं किया गया है (जनवरी 2014)।

(iii) झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जे.एस.ई.आर.सी.) के लेखाओं की लेखापरीक्षा पूरा कर वर्ष 2011-12 तक के एस.ए.आर. निर्गत किए गए। यद्यपि, वर्ष 2003-04 से 2011-12 के वर्षों के लिए राज्य विधान मंडल में उनके प्रस्तुतिकरण की स्थिति के विषय में नवम्बर 2013 तक सूचित नहीं किया गया। वर्ष 2012-13 के लिए लेखे प्राप्त नहीं हुए है (जनवरी 2014)।